

संचालनालय संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़
विभागाध्यक्ष भवन, ब्लॉक-1, 4th फ्लोर, नया रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक 0771-2510840, फैक्स क्र. 0771-2510841

क्रमांक 1035 / संसंवि / बैंक इम्पे. / 2017
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 17/11/2017

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
छत्तीसगढ़ शासन

..... विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

विषय :- राज्य शासन के अधीन निगमों / निकायों / मण्डलों / उपक्रमों के अतिरिक्त राशि का वाणिज्यिक बैंकों में जमा करने बाबत - पात्र बैंकों की सूची।

- :: -

वित्तीय वर्ष 2015-16 के आंकड़ों के आधार पर संचालनालय संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़ के ज्ञाप क्रमांक 918 / संसंवि / बैंक इम्पे. / 2016, नया रायपुर, दिनांक 08.07.2016 द्वारा राज्य शासन के अधीन निगमों / निकायों / मण्डलों / उपक्रमों के अतिरिक्त राशि का वाणिज्यिक बैंकों में जमा करने के लिये पात्र बैंकों की सूची जारी की गई थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर नवीन सूची तैयार की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है। उक्त जारी नवीन सूची अनुसार समस्त विभाग अपने अधीनस्थ निगमों / निकायों / मण्डलों / उपक्रमों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे अतिरिक्त राशि को संलग्न सूची अनुसार पात्र बैंकों में ही जमा करायें एवं यह सुनिश्चित करें कि छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता, भाग-एक, सहायक नियम (9) का उल्लंघन न हो।

2/ पात्र बैंकों को वर्तमान में शासकीय जमा अर्थात् नियमित बैंक खाते के अतिरिक्त राशि (फिक्स्ड डिपॉजिट इत्यादि) को प्राप्त करने की पात्रता है। इस परिभाषा को विस्तृत करते हुए फिक्स्ड डिपॉजिट के अतिरिक्त ऐसे चालूखातों, बचत खातों, मियादी खातों एवं विशेष मियादी खातों में जमा राशि जिनमें 10 करोड़ राशि से अधिक राशि किसी भी समय जमा हो या जमा होना संभावित हो, को अतिरिक्त राशि के रूप मान्य किया जावे।

3/ संलग्न सूची नवीन सूची जारी होने तक प्रभावशील रहेगी।

4/ कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
संचालक

पृष्ठां. क्र. 1036 / संसंवि / बैंक इम्पे. / 2017
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 17/11/2017


उपमहाप्रबंधक, एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय स्टेट बैंक, बैरन बाजार, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
संचालक

संचालनालय संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़
विभागाध्यक्ष भवन, ब्लॉक-1, 4th फ्लोर, नया रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष क्रमांक 0771-2510840, फ़ैक्स क्र. 0771-2510841

विभिन्न प्रशासकीय निकायों द्वारा शासन की अतिरिक्त/उपलब्ध कोष का विनियोजन व्यावसायिक बैंकों में किये जाने हेतु पात्र बैंकों की सूची निम्नानुसार है :-

क्रमांक	बैंक का नाम
1	इलाहाबाद बैंक
2	अपैक्स बैंक
3	एक्सिस बैंक
4	बैंक ऑफ बड़ौदा
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
6	केनरा बैंक
7	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
8	छ.ग.राज्य ग्रामीण बैंक
9	कार्पोरेशन बैंक
10	देना बैंक
11	एच.डी.एफ.सी. बैंक
12	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
13	आई.डी.बी.आई. बैंक
14	इंडियन बैंक
15	इंडियन ओवरसीज बैंक
16	इंडसइंड बैंक
17	कोटक महिन्द्रा बैंक
18	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
19	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
20	सिन्डीकेट बैंक
21	युनियन बैंक ऑफ इंडिया
22	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
23	विजया बैंक


(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
संचालक